

04 12
24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 294, 295, 296, 297 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.91 हैक्टयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	रंग
1	चौधो देवी पुत्री पदाराम हि. 1/2 थानराम पुत्र पदाराम हि. 1/2 जाति रेबारी सा. खातेदार	295/1	0.1525	बा. अ.	1.0675	
	योग	01	0.1525	बा. अ.	1.0675	
2	फुआराम पुत्र हरजीराम हि. पूर्ण जाति रेबारी सा. देह खातेदार	297	0.2275	बा. अ.	1.5925	
	योग	01	1.2275	बा. अ.	1.5925	
3	सीतादेवी पत्नि सवाराम हि. पूर्ण जाति रेबारी सा. देह खातेदार	294 295/2	0.21 0.02	बा. अ. बा. अ.	1.47 0.14	
	योग	02	0.23	बा. अ.	1.61	
4	मकनाराम पुत्र हीराराम हि. पूर्ण जाति रेबारी सा. देह खातेदार	295 296 297/1	0.0375 0.25 0.0125	बा. अ. बा. अ. बा. अ.	0.2625 1.75 0.0875	
	योग	02	0.3	बा. अ.	2.10	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अनिन् अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्या जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04-12-24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



3
सहायक सप्लाइंग अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जावा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्वा, आर.ए.एस.

वादी :-

मकनाराम पुत्र हीराराम जाति राईका निवासी सेणा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-


1. थानाराम पुत्र पदाराम
2. फुआराम पुत्र हरजीराम जातिगण राईका निवासीगण सेणा तहसील बाली
3. स्वाराम दत्तक पुत्र केसाराम जाति रेवारी निवासी सेणा तहसील बाली
4. स्व. चौथीदेवी पुत्री पदाराम जाति राईका के वारिसदार:-
4/1. नवाराम पुत्र चौथीदेवी(निम्बाराम)
4/2. सीता पुत्री चौथीदेवी(निम्बाराम) जाति राईका निवासी सेणा हाल कोठार
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/145

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर-294, 295, 296, 297 कुल खसरा-04 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	चौथी देवी पुत्री पदाराम हि. 1/2 थानाराम पुत्र पदाराम हि. 1/2 जाति रेवारी सा. खातेदार	295/1	0.1525	बा. अ.	1.0675	
	योग	01	0.1525	बा. अ.	1.0675	
2	फुआराम पुत्र हरजीराम हि. पूर्ण जाति रेवारी सा. देह खातेदार	297	0.2275	बा. अ.	1.5925	
	योग	01	1.2275	बा. अ.	1.5925	
3	सीतादेवी पत्नि सवाराम हि. पूर्ण जाति रेवारी सा. देह खातेदार	294 295/2	0.21 0.02	बा. अ. बा. अ.	1.47 0.14	
	योग	02	0.23	बा. अ.	1.61	
4	मकनाराम पुत्र हीराराम हि. पूर्ण जाति रेवारी सा. देह खातेदार	295 296 297/1	0.0375 0.25 0.0125	बा. अ. बा. अ. बा. अ.	0.2625 1.75 0.0875	
	योग	02	0.3	बा. अ.	2.10	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बसबा मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04-12-24 को जारी की गई।



(दिनेश विश्नीदि)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली